बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद दर्ज होने पर वासगीत पर्चा के आधार पर जमाबंदी का पुनर्लेखन कर 1978-79 के बाद का लगान रसीद निर्गत हो सका

श्री कमलेश्वरी ठाकुर, पिता-स्व0 सुखदेव ठाकुर एवं श्री विलास ठाकुर, पिता-स्व0 रामेश्वर ठाकुर, साकिन- गौरेया बथान, थाना-गोगरी, जिला-खगडिया द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिनांक-24.09.2020 को अलग-अलग शिकायतें दर्ज करायी गयी कि उनके क्रमशः पिता एवं माता के नाम से प्रश्रय प्राप्त भूमि का वासगीत पर्चा वर्ष 1974-75 में ही प्राप्त हुआ है और वर्ष 1978-79 में लगान रसीद निर्गत हुआ है जिस पर वासगीत पर्चा का अभिलेख संख्या अंकित है , लेकिन उसके बाद से कई बार अंचल कार्यालय में आवेदन देने के बावजूद इन लोगों का अद्यतन लगान रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है।

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोगरी के द्वारा इस पर सुनवाई की गयी। अंचल कार्यालय की ओर से बताया गया कि निर्गत किया गया बासगीत पर्चा सही है, परन्तु जमाबंदी पंजी के काफी जीर्ण-शीर्ण होने के कारण वासगीत पर्चाधारियों के नाम से जमाबंदी पंजी में प्रविष्टि नहीं पायी गयी है, संभवतः जमाबंदी पंजी का पृष्ठ फट गया हो।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वर्ष 2018 के निर्देश के आलोक में अंचल कार्यालय के द्वारा जमाबंदी का पुनर्लेखन कर इसकी ऑनलाईन प्रविष्टि की गयी और दिनांक-05.01.2021 को परिवादियों को लगभग 40 वर्ष बाद लगान रसीद निर्गत हो पाया। परिवादियों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इसके लिए उन्होंने लोक शिकायत निवारण कानून का धन्यवाद दिया।

शिकायत का निवारण – अब हो गया आसान

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी लोक शिकायतें दर्ज करायें एवं निश्चित समय सीमा में समाधान पाएं

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18003456284 पर कॉल करें या वेबसाइट http://lokshikayat.bihar.gov.in/ पर जाएं